न्यायालयः — अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)

<u>आप. प्रक. क.—371 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक 13.05.2014</u> फा.नंबर—234503000392014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, परसवाडा जिला बालाघाट (म.प्र.) // विरुद्ध

____<u>अभियोजन</u>

हरेन्द्र पिता मंशाराम मरावी, उम्र—32 वर्ष, निवासी मरारीटोला थाना परसवाड़ा जिला बालाघाट।

____<u>आरोपी</u>

/<u>/ निर्णय</u> / / (आज दिनांक 15 / 01 / 2018 को घोषित)

- 01— अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के तहत् आरोप है कि उसने दिनांक 29.03.2014 के लगभग आठ वर्ष पूर्व से लगातार आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कनई प्रार्थिया के घर में प्रार्थिया समोकाबाई के पित होते हुए प्रार्थिया समोकाबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया।
- 02— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि फरियादिया श्रीमती समोकाबाई ने थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका पित हरेन्द्र मरावी शादी के बाद से मारपीट कर प्रताड़ित कर रहा है तथा घटना दिनांक को मारपीट कर घर से निकाल दिया है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी एवं गवाहों के कथन लेख किये गये। घटनास्थल का मौका—नक्शा, गिरफ्तारी की कार्यवाही की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध अभियोग पत्र कमांक 59/14 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। विचारण के दौरान फरियादिया/आहत श्रीमती समोकाबाई ने आरोपी से राजीनामा कर लिया, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए भा.द.वि. के शमनीय न होने से विचारण किया गया।

04-प्रकरण के निराकरण हेत् निम्नलिखित विचारणीय बिन्दू यह है कि

01.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 29.03.2014 के लगभग आठ वर्ष पूर्व से लगातार आरक्षी केन्द्र परसवाड़ा अंतर्गत ग्राम कनई प्रार्थिया के घर में प्रार्थिया समोकाबाई के पित होते हुए प्रार्थिया समोकाबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया ?

सकारण एवं निष्कर्ष:-

05— फरियादी / आहत समोकाबाई अ.सा.01 ने कहा है कि वह आरोपी को जानती है। आरोपी हरेन्द्र उसका पित है। आरोपी हरेन्द्र से उसका विवाह वर्ष 2005 में हुआ था। विवाह पश्चात से वह वर्तमान तक आरोपी के साथ निवासरत है और उसे उससे कोई शिकायत नहीं है। करीब तीन वर्ष पूर्व आरोपी के साथ उसका मौखिक विवाद हो गया था, जिसके बाद आवेश में उसने लोगों के कहने पर उसके विरुद्ध परसवाड़ा थाने में शिकायत की थी, जहाँ पुलिसवालों ने कुछ दस्तावेजों पर उससे हस्ताक्षर करवाये थे, परंतु उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 तथा मौका—नक्शा प्र.पी.02 पर उसके हस्ताक्षर है। थाने में पुलिस ने उससे पूछताछ की थी और उसने उक्त बात बता दी थी। आरोपी उससे मारपीट नहीं करता। आरोपी द्वारा कभी उसे प्रताड़ित नहीं किया गया।

फरियादी / आहत समोकाबाई अ.सा.01 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि शादी के बाद से ही उसका पति शराब पीकर लड़ाई-झगड़ा एवं मारपीट कर उसे प्रताड़ित करता था, शादी के बाद वह अपने मायके जाती थी और आरोपी के बारे में बताती थी और उसके मॉ-बाप द्वारा आरोपी को समझाया गया, परंतु उसमें कोई सुधार नहीं आया, दिनांक 29.03.2014 को आरोपी मारपीट कर उसे घर से निकाल दिया, जिसके बाद उसने अपनी माँ को ससुराल बुलाया और उसके साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसका आरोपी से समझौता हो गया है, इसलिये वह न्यायालय में सही बात नहीं बता रही है। साक्षी अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, पति-पत्नि में अक्सर ऐसे विवाद होते रहते हैं, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी, वह उसके साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की जाती है तथा वह उसके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है।

07— फरियादी / आहत समोकाबाई अ.सा.01 घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है, जिसने घटना से स्पष्ट इंकार किया है और कहा है कि घटना के समय उसका आरोपी से केवल मौखिक विवाद हुआ था, उसने लोगों के कहने पर आवेश में आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। वह आरोपी के साथ सुखपूर्वक निवासरत है। आरोपी द्वारा उससे कोई मारपीट नहीं की गई थी तथा वह आरोपी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं चाहती है। प्रकरण में आरोपित अपराध के संबंध में अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थित में साक्ष्य के पूर्ण

अभाव में अभियुक्त के विरूद्ध कोई निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता। फलतः अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी/आहत समोकाबाई को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर कूरतापूर्ण व्यवहार किया। अतः अभियुक्त हरेन्द्र मरावी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—498ए के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

08- अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

09- प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

10— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

